

कम 05 वर्ष की सेवा की हो), स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित एवं विकलांग श्रेणी (विकलांगता श्रेणी-OA एवं OL) अभ्यर्थियों को नियमानुसार क्षेत्रीय आरक्षण अनुमन्य होगा।

कुशल/उत्कृष्ट खिलाड़ियों हेतु उ०प्र०शासन द्वारा निर्गत एवं कॉरपोरेशन द्वारा अंगीकृत शासनादेशों में निहित प्राविधानों के अनुसार दो (02) प्रतिशत क्षेत्रीय आरक्षण अनुमन्य होगा।

आरक्षण का लाभ लेने के लिये अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है। अभ्यर्थी जो उ०प्र० के मूल निवासी नहीं है, अनारक्षित श्रेणी के अन्तर्गत ही आवेदन करें। अभ्यर्थी को केवल आवेदित श्रेणी का ही लाभ अनुमन्य होगा।

7. चयन प्रक्रिया :- अभ्यर्थी द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र में उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर लिखित परीक्षा (CBT) में अस्थायी रूप से (provisionally) सम्मिलित किया जायेगा। अभ्यर्थियों के मात्र लिखित परीक्षा (CBT) में सम्मिलित होने से अर्हता अथवा चयन का अधिकार प्राप्त नहीं हो जायेगा। चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जायेगा।

लिखित परीक्षा (CBT):

सहायक लेखाकार के पद पर विद्युत सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती हेतु **वस्तुनिष्ठ प्रकार की** लिखित परीक्षा (CBT) होगी। लिखित परीक्षा (CBT) का प्रश्न-पत्र दो भागों का होगा। प्रथम भाग में 50 प्रश्न एवं द्वितीय भाग में 150 प्रश्न होंगे।

प्रथम भाग:

(1) प्रथम भाग की लिखित परीक्षा (CBT) में DOEACC के "O" स्तर का कम्प्यूटर ज्ञान से सम्बन्धित एक प्रश्न-पत्र होगा जिसमें 50 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 01 अंक का होगा अर्थात् यह परीक्षा अधिकतम 50 अंकों की होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक की अतिरिक्त कटौती की जायेगी।

(2) **कम्प्यूटर ज्ञान की प्रथम भाग की परीक्षा में कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा** अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित अभ्यर्थी को अर्ह न मानते हुये उसकी लिखित परीक्षा (CBT) के द्वितीय भाग का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।

द्वितीय भाग:

(1) द्वितीय भाग की लिखित परीक्षा(CBT) का पाठ्यक्रम (Syllabus) निम्नवत होगा:-

(i) General English & General Hindi.

(ii) Arithmetic.

(iii) Accountancy, Auditing and Income Tax (conforming to the graduation standard)

The syllabus of Accountancy, Auditing And Income Tax is detailed below:-

Accountancy:-

(a) Trading and Profit & Loss Accounts and Balance Sheet.

(b) Bills of Exchange.

(c) Self balancing ledgers and sectional balancing.

(d) Capital & Revenue, Receipts & Payments, Income & Expenditure Accounts.

(e) Depreciation, Reserve & Provisions.

(f) Branch and Departmental Accounts.

(g) Double Accounts System.

(h) Bank Reconciliation Statement.

(i) Rectification of Errors.

(j) Balance-Sheet formats & classification.

Auditing and Income-Tax:-

(a) Object of Audit.

(b) Vouching and verification.

(c) Rights, Duties and Liabilities of Auditors.

(d) Income Tax, Provisions pertaining to income from salary and Provisions related to chapter-VI of Income tax Act 1961.

(e) Provision relating to TDS & forms to be filed with Income-Tax Department.

(2) प्रत्येक प्रश्न 01 अंक का होगा अर्थात् यह परीक्षा अधिकतम 150 अंकों की होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिये 1/4 अंक की अतिरिक्त कटौती की जायेगी।





